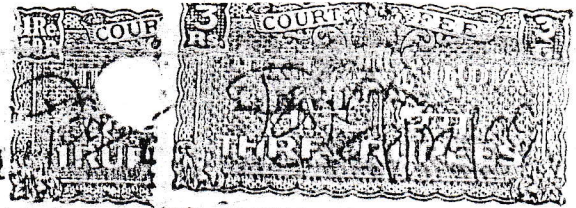


दाखिल खासिल जाँच



मोजा— भनपुरा
 धाना— दानापुर
 सब-डिविजन-दानापुर
 सन्— 2000

धाना न०— 28
 जिला-पटना
 बसीका सं०— अटबोरा

अचल दानापुर
 दा० बाद सं०— 1360/10
 दिनांक—
 दा० खा० का किस्म-केवाला-

जमाबंदी न०	जमाबंदी रयत का नाम	खाता	खसरा	मजरा	लगान	अभ्युक्ति
300	शिव देवनसिंह पिता - श्री रामलख न सिंह सा - चमारी चक सा - जगहौत दानापुर पटना	32	839	258	9620	अचल दानापुर मलशम आवेदित जमीन है रयत का ही जमीन है आवेदक का दरबान जगहौत जमाबंदी आवेदक जगहौत पटना जगहौत है जगहौत रयत की मलशम ही है जगहौत उक्त का पिता के द्वारा जगहौत जमीन जिला है अतः आवेदक के नाम से जगहौत रयत को सकता है 3011/10
दा० खा० के बाद होल्डींग						
नया लगीतदार का होल्डींग						
	श्री आशोक कुमार सिंह पिता श्री शिव देवनसिंह सा - चमारी चक धाना दानापुर	32	839	622	9000	अचल दानापुर म.दा.शम उपस्थापित दाखिल दा.मिलान 3011/10 जगहौत का फायदा नया लगीतदार

(२)



तारिख

आदेश की क्रम संख्या
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

पदाधिकारी का हस्ताक्षर
तारीख सहित

इनमी अनुशांसा नामांजन हेतु है। कम्प के उपस्थित व्यक्तियों
न नामांजन पर किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की है। आम
नोटिस की तमिला प्राप्त है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन और अनुशांसा से सहमत होकर आवेदक
पक्ष में नामांजन की..... दी जाती है।

यह नामांजन आदेशी अंगी हो चुका है
अतः आदेश के विरुद्ध नहीं करेगा।

शुद्धि-पत्र दो प्रतियों में हस्ताक्षर किया। दो प्रति राजस्व
अधिकर्ता को दें जो एक प्रति अनुपालन के बाद एक पक्ष में
वापस कर दें।

लेखापित

अंचल अधिकारी, दानापुर

अंचल अधिकारी
दानापुर

Certified to be true Copy

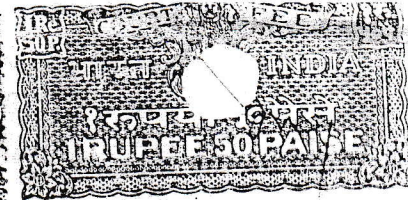
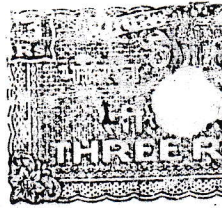
सिक्कासी दी है
Sikhasi Di Hai

under Sec. 76 of 1872

चा १२-कारण सं० २६२

आदेश-प

(देखें अभिलेख हस्तक १६४



आदेश पत्रक

जिला पटना से.....सन् १६.....

केस का प्रकार दा० खा० बाद स०.....सन्.....

आदेश को कम संख्या और तारीख	आदेश और नमूना हस्ताक्षर <i>Amun B...</i>	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
-------------------------------	---	---

30/10/99

आदेश दिनांक.....को राजस्व कार्य के निस्तार के प्रसंग में ग्राम.....हल्का बुरखाना थाना-दानापुर (पटना) में आयोजित कैंप में श्री.....अशोक कुमार सिंह पिता/प्रति.....श्री शिव देवन सिंह ग्राम.....दानापुर (पटना) ने निम्नलिखित जमीन का नामांकन हेतु आवेदन-पत्र दिया है जिसे बसीका सं०.....दिनांक.....प्रति से इन्होंने श्री.....बलद श्री.....ग्राम.....थाना (पटना) से कर दिया है।

जमीन का विवरण

मोजा	थाना एवं थाना न०	तोजो न०	खाता न०	खेसरा	रकबा	विक्रेता के नाम एवं बसीका सं०
------	------------------	---------	---------	-------	------	-------------------------------

मैनपुरा दानापुर 32 839-0 675

हल्का कर्म० एवं अ० नि० से जांच प्रतिवेदन मांग करें। आम नोटिश निर्गत करें। अभिलेख अगले शिविर के दिनांक.....को रखें।

कैंप में उपस्थित क्षेत्रीय राजस्व कर्मचारी / पे० से० और अंचल निरीक्षक से आवेदित जमीन के सम्बन्ध में स्थानीय तौर पर और राजस्व कागजों से जांच कराई गई।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित जमीन।

Sch. XIV—F. No. 180V.

वि० न० प्रेस, दया । २५९

एसीद मालगुजारी ।

करम मालकी/करम रैयती ।

धाम सर्कल । नाम मौजा मय

नाम रैयत मय बलिदयत जमाबन्दी

धाना वो धाना नमूना

वो सकुनत । नम्बर ।

बराजी नगरी बराजी सावली तफसील हिसाब कमान भावली ।

बराजी नगरी बराजी सावली तफसील हिसाब कमान भावली ।

बोत का सालाना मांग मय तफसील (बंकाया वो हाल) मौजुदा साल का

बोत बावत	सालाना	बकाया				हाल
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	दो वर्ष ।	एक वर्ष ।	एक वर्ष ।	
माल- (नकदी)	१०-००				१०-००	१०-००
गुजारी (भावली)	२-५०				२-५०	२-५०
सेस	५-००				५-००	५-००
*सूद	५-००				५-००	५-००
मुतफरकात	२-००				२-००	२-००
मीजान	१८-५०				१८-५०	१८-५०

तफसील अदायकारी ।

अदायकारी बावत	तीन वर्ष से ज्यादा ।	बकाया			मोतामला हाल ।	फाकि
		दो वर्ष ।	एक वर्ष ।	एक वर्ष ।		
माल- (नकदी)					१०-००	१०-००
गुजारी (भावली)					२-५०	२-५०
सेस					५-००	५-००
*सूद					५-००	५-००
मुतफरकात					२-००	२-००
मीजान अदायकारी					१८-५०	१८-५०

(१) मीजान कुल (लफजों से)

(२) नाम देहिन्दा

(३) कुल बकाया

अदायकारी हिसाब = १८-५०

दस्तावेज वो तारीख अमला तहसील कुनिन्दा ।

*खास महल का बकाया मालगुजारी पर (सेवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है ।

५-५५

गोपनीय आदि

(म) निरिह प्रमाण-मूल

1974

जिला ५५०२

अभिलेख पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1- नाम लेख्यकारीगण : 1- श्रीमती जय कुमारी देवी जौजे स्व० शिवदेवन सिंह

2- श्री अरुण कुमार सिंह

3- श्री अशोक कुमार सिंह सभी पुत्रगण स्व० श्री

4- श्री अभय कुमार सिंह शिव देवन सिंह

5- श्री सतीश कुमार सिंह

सभी निवासीगण ग्राम चमारी चक, थाना शाहपुर

॥ दानापुर ॥, पत्रालय जमसौत ॥ नरगदा ॥, जिला

पटना । भारतीय नागरिक ।

2- नाम लेख्यधारी : आपस में बहक एक दूसरे के । -----

3- लेख्य प्रकार : याददास्त बंटवारा यानि मेमोरैन्डम ऑफ पार्टिशन ।

4- मालियत सम्पत्ति : मो०- 4,00,000/- चार लाख रुपया मात्र ।
याददास्त बंटवारा ।

5- पूर्ण विवरण सम्पत्ति : यह याददास्त बंटवारा जो खानगी बंटवारा में बंटकर
लेख्यकारी नम्बर-3 श्री अशोक कुमार सिंह को मिल
था -

मवाजी 4 एकड़ 53 1/2 बी० चार एकड़ साढ़े तिरपन डीमा

एराजी हकियत कास्त रेयती नगदी कायमी वाके

मौजा, थाना, थाना नम्बर, जिला, तौजी नम्बर,

खाता नम्बर, प्लॉट नम्बर एवं रकवा निम्ने दर्ज है :-

818 मौजा	तौजी	खाता	सर्वे	रकवा	चौहदी
-----	न०	न०	प्लॉट	ए० डी०	-----
मैनपुर शंकर	5234	104	385	0-10 1/2	30-अभय सिंह
थाना न०-24					40-राम बाबु गडहरी
थाना-दानापुर					50-अहरी
जिला पटना ।					60-सतीश सिंह
"	"	88	442	0-3	70-रामदेवन सिंह
			441	0-6	80-वीपत लाल
			434	0-3	90-अभय सिंह
					100-नीज
		35	433	0-47 1/2	110-नीज एवं रामदेवन सिंह
					120-नीज
					130-नीज
					140-नीज

312/211 कुमार सिंह
नं० 91/61/टट

अशोक कुमार सिंह
नं० 9-4-टट

सतीश कुमार सिंह
नं० 11/61/88

7-टट-टट

अभय कुमार सिंह
1-6-88

मौजा तौजी खाता सर्वे रकवा चौहदी
नं० नं० प्लॉट इंडी

मैनपुर शंकर 5234 35 432 0-50

धाना नं०-24

धाना-दानापुर

जिला-पटना ।

मुसलम

431 0-68 1/2 उ०-राम देवन सिंह
। पेड़ जामुन द०-राम ईश्वर सिंह, राम देवन सिंह
। पेड़ आम रास्ता (मान 1 एक)
जानिव पू०-नीज विगहा
दक्षिण । प०-आहर

35 425 0-31

मुसलम

104 426 0-33 1/2 उ०-नीज एवं प्लॉट नं० 408

जानिव द०-सतीश सिंह

उत्तर पू०-अंश खेसरा नं० 426

प०-नधुनी सिंह

230 488 0-15 उ०-राम देवन सिंह खेसरा 489

द०-राम सिंहासन सिंह वो जैकुमारी देवी

पू०-शिव शरण सिंह

प०-रास्ता नीज अरुण, अशोक, अभय, सतीश

216 475 0-6 1/2 उ०-अरुण सिंह

पश्चिम द०-आहर

पू०-अभय सिंह

प०-सुमित्रा देवी

231 497 0-21

मुसलम

231 542 0-1 1/2 उ०-सड़क

231 544 0-5 1/2 द०-प्लॉट नं०-549 वो 550

74 541 0-02 पू०-अभय सिंह

74 546 0-7 1/2 प०-राम देवन सिंह

413 2187 0-26

जानिव

पश्चिम

जमसौत

धाना नं०-30

धाना-दानापुर

जिला-पटना

मैनपुर शंकर

5234

35

364

0-8 3/4

धाना नं०-24

धाना-दानापुर

जिला-पटना

जानिव

पूरब ।

अरुण कुमार सिंह
ता: 9/1/22

अशोक कुमार सिंह
ता: 9-6-22

सीमा कुमार सिंह
ता: 11/6/28

22-3-6

अशोक कुमार सिंह
ता: 11/6/28

88-9-1

अशोक कुमार सिंह
ता: 11/6/28

चौहदी :-

- उ०-सतीश सिंह
- द०-अभय सिंह
- पू०-दानापुर-छगौल मुख्य सड़क
- प०-अरुण कुमार सिंह

मौजा

तौजी
नं०

छाता
नं०

सर्वे
प्लॉट

रकबा
इ० डी०

ii-मैनपुर शंकर थाना नं०
24 थाना-दानापुर,
जिला-पटना ।

5234

35

364

0-34 1/2

चौहदी :-

- उ०-सर्वे प्लॉट नं०-362
- द०-राम देवन सिंह
- पू०-सतीश सिंह
- प०-अभय सिंह

पैमाईस इनापी :-

- पूरब पश्चिम उत्तर तरफ 74 फीट
- पूरब पश्चिम दक्षिण तरफ 87 फीट
- उत्तर दक्षिण पूरब तरफ 195 फीट
- उत्तर दक्षिण पश्चिम तरफ 195 फीट

128 छण्ड मय सहन जमीन जिसकी तफसील
मौजा

तौजी
नं०

छाता
नं०

सर्वे
प्लॉट

रकबा
इ० डी०

मैनपुर शंकर थाना नं०
24 थाना-दानापुर,
जिला-पटना ।

5234

190

500

0-06 1/2

चौहदी

- उ०- सतीश सिंह
- द०- अरुण सिंह का मकान एवं झ्योढ़ी
वो रास्ता ।
- पू०- रास्ता वाद कास्त अरुण सिंह,
वो जैकुमारी देवी ।
- प०- अरुण कुमार सिंह का जनानी कित्त

पैमाईस इनापी :-

- पूरब पश्चिम उत्तर तरफ 71 फीट
- पूरब पश्चिम दक्षिण तरफ 59 फीट
- उत्तर दक्षिण पूरब तरफ 35 1/2 फीट
- उत्तर दक्षिण पश्चिम तरफ 35 1/2 फीट

छण्ड सर्वे प्लॉट नं०-500 में जानिव दक्षिण अशोक कुमार सिंह का दखल कब्जा है वो उसी तरह रहेगा और छण्ड के सभी लाजमात अशोक सिंह का है वो रहेगा । छण्ड सर्वे प्लॉट नं०-500 के दक्षिणवारी दिवांल में किसी प्रकार का दरवाजा या जंगला अरुण सिंह के मकान एवं झ्योढ़ी के तरफ नहीं छोलेंगे । अरुण सिंह के झ्योढ़ी पूरब निकसार यानि रास्ता है । झ्योढ़ी के पूरब तरफ पूरबे-पश्चिम अशोक सिंह के छण्ड सर्वे प्लॉट नं०-500 के सटे दक्षिण एवं अभय सिंह के परती प्लॉट नं०-490 के उत्तर में पूरब की तरफ 12 फीट का रास्ता है जो छण्ड छेसरा 500 के पूरब तरफ वाली रास्ता में है ।

अरुण कुमार सिंह
ता: 11/11/72

अशोक कुमार सिंह
ता: 9-11-72

अलीश कुमार सिंह
ता: 11/11/72

अशोक कुमार सिंह
ता: 9-11-72

होकर छण्ड प्लॉट-500 के उत्तर से होकर पूरब-पश्चिम रास्ता है जो खेसरा-773 मुख्य सड़क में मिल जाती है। वह आम पब्लिक रास्ता है वो रहेगा

अरुण कुमार सिंह
ता: 9/1/77

838 मौजा	तौजी नं०	खाता नं०	सर्वे प्लॉट नं०	रकबा ए0डी0	चौहद्दी
तवकरपुर	5059	61	80	0-9 ³ / ₄	उ०-प्लॉट नं०-81
धाना नं०-35					द०-प्लॉट नं०-79
धाना-दानापुर					पू०-अभय कुमार सिंह पार्ट
जिला-पटना।					प्लॉट नं०-80

अमोह कुमार सिंह
ता: 9-8-77

105	91	0-22	उ०-सर्वे प्लॉट नं०-21 को आहर।
			द०-अभय कुमार सिंह सर्वे प्लॉट नं०-91 का पार्ट।
			पू०-सर्वे प्लॉट नं०-92
			प०-सर्वे प्लॉट नं०-90

रवीश कुमार सिंह
ता: 11/6/88

848 मौजा	तौजी नं०	खाता नं०	मालिकान बंटवारा प्लॉट नं०	रकबा ए0डी0	चौहद्दी
रुस्तमपुर	5853	267	400	0-13 ¹ / ₂	उ०-गली सरकारी बांध
शाहपुर उर्फ			395	-मिलजुमले	द०-अरुण सिंह
मिकन्दरपुर			396	रकबा में	पू०-गली
धाना नं०-17			397	जानिव	प०-सतीश सिंह को अभय
धाना			398	उत्तर	
दानापुर,					
जिला पटना।					

अमोह कुमार सिंह
9-8-77

402	0-1 ¹ / ₄	उ०-नीज रास्ता
जानिव		द०-सतीश सिंह
दक्षिण-		पू०-अभय सिंह
पश्चिम		प०-नीज रास्ता

858 प्लॉट नं०-6 एवं प्लॉट नं०-11 के मिलजुमले सराजी के ब्लॉक में उत्तर-दक्षिण 193 फीट जानिव पूरब एवं उत्तर दक्षिण जानिव पश्चिम 201 फीट तथा पूरब पश्चिम उत्तर तरफ 81 फीट एवं पूरब पश्चिम दक्षिण तरफ 85 फीट यानि कुल ब्लॉक सरे जमीन पर 16351 वर्ग फीट है तथा उसमें दक्षिण तरफ ब्लॉक में दो छतदार कमरा दुकाननुमा बना हुआ है। वाले मौजा-

अमोह कुमार सिंह
1-6-88

शिवनन्दरपुर चक जुनैदपुर, थाना-दानापुर, थाना नं०-17, जिला पटना
जिसका तौजी नं०-5008 एवं छाता नं०-3, सर्वे प्लॉट नं०-11 तथा तौजी
नं०-5009, छाता नं०-5 सर्वे प्लॉट नं०-6 है। यह खलोक का रकबा
इजमालन श्री अरुण कुमार सिंह एवं श्री अशोक कुमार सिंह को इजमालन तक्त्या
में मिला था जिसपर वे लोग दोनो भाई निरंकुश मालिक एवं दखलकार
हैं जिसकी गौहदी नीचे लिखे अनुसार है :-

उत्तर : बी.एस.कालेज का चाहर दिवारी।

दक्षिण : पटना-दानापुर मुख्य सड़क।

पूरव : राम देवन सिंह के गिहस्से में मिली हुई जमीन।

पश्चिम : अस्थायी कमरा अरुण सिंह।

नोट :- एक उपर्युक्त बंटवारा में छानगी बंटवारा से मिले हुए जमीन के अलावे
और सम्पत्ति इजमाल परिवार की बची हुई है उसका अभी बंटवारा
नहीं हुआ है। जिसमें एक किता मकान वाके महल्ला महुआ टोली
दानापुर कैंट, थाना दानापुर, जिला पटना वार्ड नम्बर-3, महल्ला
नं०-2, होलिडैज नं०-43ए. है।

१४३ मौजा मैनपुर शंकर थाना नं०-24, तौजी नं०-5234 सर्वे प्लॉट नं०-
384 के मिलजुमले एराजी में से 12 फीट का रास्ता रखा गया था
जिसका एराजी 4 डीसमल होता था पूरव से पश्चिम तक 384
के पश्चिम आरी तक रास्ता है वो रहेगा।

१४४ मौजा मैनपुर शंकर दानापुर थाना नं०-24 तौजी नं०-5234, प्लॉट
नं०-431 के पश्चिम तरफ आहर से 12 फीट का रास्ता अशोक कुमार
सिंह अपने प्लॉट नं०-431, 433 एवं 441 में अशोक कुमार सिंह के
प्लॉट नं०-441, 438, 443 में आने जाने के लिए अशोक सिंह अपने जमी
में से अशोक सिंह के छेरा नं०-441 के पश्चिम आरी तक 12 फीट का
रास्ता छोड़ना तय पाया गया था।

१४५ मौजा मैनपुर शंकर चमारीचक दानापुर, थाना नं०-24, तौजी नं०-
5234 के छेरा नं०-773 जो चमारीचक गांव में जाने का मुख्य सड़क
है उक्त सड़क से पूरव की ओर एक आम पब्लिक रास्ता जाती है जो
पूर्व से चला आ रहा है वह आगे पूरव की ओर प्लॉट नं०-431 के
दक्षिण एवं प्लॉट नं०-502, 503 तथा 500 के उत्तर से होकर पूरव की
तरफ बढ़कर उक्त रास्ता प्लॉट नं०-500 के पूरव से दक्षिण की तरफ

अरुण कुमार सिंह
सी: 91/1/22

अशोक कुमार सिंह
सी: 9-4-22

अजीत कुमार सिंह
सी: 11/6188

अशोक कुमार सिंह
सी: 9-4-22

अशोक कुमार सिंह
1.6.88

मुड़ जाती है एवं प्लॉट नं० 488 के पश्चिम में पड़ती है तथा आगे चलकर प्लॉट नं०-500 के दक्षिण तरफ से पश्चिम की ओर मुड़ कर प्लॉट नं०-490 में चली जाती है जो अरुणकुमार सिंह के मकान तक जाकर समाप्त हो जाती है । उपरोक्त रास्ते का वर्णन स्वत्व वाद संख्या 102/67 में संधि द्वारा पारित डिग्री के कीडका-5 एवं 9 से भी स्पष्ट होता है । उक्त रास्ता 14' चौड़ा है ।

"मजगुन "

यह कि स्वर्गीय राम लखन सिंह ग्राम चणारीचक, थाना दानापुर, जिला पटना का के मूल पुरुष थे और उनके दो पुत्रगण श्री राम देवन सिंह एवं स्वर्गीय शिव देवन सिंह थे । राम देवन सिंह, शिव देवन सिंह एवं राम लखन सिंह के बीच इजमाल के सम्पत्ति का बंटवारा आपस में तीन हिस्से में टाईटील पार्टिशन सूट नं०-99 सन् 1947 सन जन-3, पटना के द्वारा अंतिम रूप से डिक्ली के द्वारा हो गया था और हर पक्ष अपने हिस्से में मिले हुए सम्पत्ति पर अलग-अलग मालिक एवं दखलदार थे । राम लखन सिंह का स्वर्गवास सन् 1960 ई० में हो गया था और उनके हिस्से की सम्पत्ति इजमालन उनके दोनों लड़के राम देवन सिंह एवं शिव देवन सिंह तथा उनके पोतेगान को उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त हुआ और उसको भी वे लोग आपस में आठ-आठ आना हिस्से के दो-दो तथा आपस में बंटवारा कर निकाल लिए । बाद में राम लखन सिंह के तत्स्थ की सम्पत्ति को लेकर बंटवारा वाद संख्या 102 सन् 1967 दाखल हुआ जो बाद में हस्तांतरित होकर सन जन-6 पटना के न्यायालय से दिनांक 19-02-88 के अंतिम जय पत्र के आधार पर फैसला हो गया और पूर्व में बंटे हुए सम्पत्ति को इस मुकदमा में पंचो ने सही पाया और उसी के आधार पर न्यायालय का जय-पत्र तैयार हुआ ।

यह कि शिव देवन सिंह एवं शिव देवन सिंह के पुत्रों के बीच राम देवन सिंह के छुट से बंटकर जो सम्पत्ति इलहदा मिला था उसपर शिव देवन सिंह एवं उनके पुत्रगण इजमालन कब्जा दखल में निरंकुश मालिक के रूप में रहते चले आ रहे थे । शिव देवन सिंह अपने पुत्रों के साथ इजमाल परिवार के सदस्य के रूप में रहते हुए सन् 1988 ई० में लेख्यकारीगण को अपना उत्तराधिकारी छोड़कर स्वर्गवास कर गए और पूरे इजमाल परिवार के सम्पत्ति के मालिक इजमालन रूप से लेख्यकारीगण हुए और कब्जा दखल में रहते चले आए ।

अरुण कुमार सिंह
दि: 9/1/82

अशोक कुमार सिंह
दि: 9-1-82

सलीम कुमार सिंह
दि: 1/6/83

अशोक कुमार सिंह
दि: 9-3-82

अमर कुमार सिंह
दि: 1-6-88

यह कि शिव देवन सिंह के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारीगण आपस में इजमाल नहीं रह पाए और जो सम्पत्ति उनलोगों की इजमाल की थी उसको आपस में हिस्से के मुताबिक पांच हिस्सों में अलग-अलग मालिक के रूप में उपयोग करते चले आ रहे हैं। लेख्यकारीगण के बीच दियारा जो सोन सिकस्त की जमीन है उसे लेख्यकारीगण इजमालन है उसको फिलहाल लेख्यकारीगण आपस में जोड़ दिए थे और बची हुई जमीन का हिस्सा पुनः मालियत के मुताबिक बंटवारा कर लिए थे।

यह कि मौजा मैनपुर शंकर, मौजा जमसौत, मौजा ववकरपुर मौजा सिकन्दरपुर चक जुनैदपुर, मौजा रूस्तमपुर शाहपुर, भाना दानापुर, गिला पटना के भूमि को आपस में बंटवारा कर लिया था और खानगी बंटवारा से हर एक हिस्सेदार को उसके छूटे के साथ पांच तक्का इलहदा इलहदा जमीन मिला था जिसपर वे लोग इलहदा इलहदा मालिक के रूप में काबिज देखिल होकर मालिक के रूप में उसका उपयोग करते चले आ रहे हैं और खानगी बंटवारा से बंट कर एक छूटे को जो सम्पत्ति मिला था उस पर दूसरे छूटे को कोई हकीकत या कब्जा का दावा नहीं है।

यह कि लेख्यकारीगणों ने अपने-अपने सुविधा को देखकर आपस में बंटवारा किया था तथा हर एक हिस्सेदार को उसके हिस्से में मिले सम्पत्ति के मालियत के अनुसार सम्पत्ति बांट कर अलग-अलग दी गई थी और उस समय से हर एक हिस्सेदार अपने तक्के में मिले हुए सम्पत्ति पर इलहदा काबिज देखिल है किन्तु खानगी बंटवारा से बंटकर जो सम्पत्ति इलहदा हर एक हिस्सेदार को मिला था और कब्जा देखिल में है उसके सम्बन्ध में कोई लिखित प्रमाण नहीं रहने के कारण भविष्य में आपस में पुनः बंटवारा को लेकर गलत फहमी पैदा होने की सम्भावना हो सकती है। इसलिए लेख्यकारीगण ने आपस में यह राय कायम किया कि पूर्व में किए हुए आपसी बंटवारा का एक कगल या दास्त का बनाकर और हर एक पक्ष के तक्का में इलहदा मिले हुए सम्पत्ति का विवरण देकर प्रत्येक हिस्सेदार उस पर हस्ताक्षर कर दे ताकि भविष्य में उनके विरुद्ध किसी प्रकार दावा किसी एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार के विरुद्ध या उनलोगों के उत्तराधिकारियों का नहीं हो।

उमर कुमर सिंह
दि: 9/4/22

कौशिक कुमार सिंह
दि: 9-4-22

सलीम कुमार मिश्र उमरगरी
दि: 11/6/88 9-4-22

उमर कुमर सिंह
1.6.88

यह कि याददास्त बंटवारा दिनांक 1-6-1988 को पांच प्रति
लिख कर अलग-अलग हर हिस्सेदार को एक-एक, प्रति दे दी गई है और हर एक
हिस्सेदार को उसके तक्ये में मिली हुई सम्पत्ति का विवरण इस याददास्त
कागज के साथ संलग्न कर दिया गया है ।

इस याददास्त बंटवारा के खाना नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति खास
बंटवारा से बंट कर खास हिस्सा वो तक्या में लेखकारी संख्या-3 श्री अशोक
कुमार सिंह को मिला था जिसके वे निरंकुश मालिक एवं दखलदार है और उस
सम्पत्ति से दूसरे हिस्सेदार को कोई हकियत या कब्जा बंटवारा के समय से
नहीं रह गया था और न भविष्य में होगा ।

इसीतर लेखकारीगण अपने-अपने स्वेच्छा से यह याददास्त बंटवारा का
कागज लिखवा कर एवं पढ़वा कर सुन समझ लिया है तथा सही होने के प्रमाण
स्वरूप अपना-अपना हस्ताक्षर गवाहों के समक्ष बना दिया तथा गवाहों से
भी गवाही लेवा दिया ।

गवाह :- १११

सुरेश प्रसाद सिंह
ग्राम - शीमापुर
थाना - पुनपुन
जिला - पटना

१२१

गंगाधर प्रसाद सिंह
ग्राम - शीमापुर
थाना - पुनपुन
जिला - पटना

अशोक कुमार सिंह
दि: १/६/८८

अशोक कुमार सिंह
दि: १-६-८८

रमेश कुमार मिश्र
दि: १/६/८८

अशोक कुमार सिंह
दि: १-६-८८

गवाह ③ लालन सिंह
ग्राम - चमारी पक
थाना - शाहपुर
जिला - पटना
१/६/८८

टंकक :-
मोना प्रसाद
१ भोला प्रसाद
सीवल कोर्ट, दानापुर,
पटना ।

अन्दर मो. शब्दों में (रु.) मात्र।

चतुर्थ प्रति
(जमाकर्ता हेतु)

बिहार सरकार

निबंधन विभाग

गैर मानक

दस्तावेजों के निबंधन के लिए जमा किए जाने वाले स्टाम्प शुल्क / निबंधन शुल्क एवं भूस्वामी के निबंधन शुल्क के भुगतान के लिए बैंक चालान

1. पक्षकार का नाम पिता/पति का नाम/पता Agrani Homes Pvt Ltd.
(जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है) Office at - M 3/9, J.K. Puri,
Boring Road, Patna.
2. दस्तावेज का प्रकार Development
3. निबंधन कार्यालय Agreement जिला निबंधन कार्यालय, पटना
4. बैंक का नाम एवं शाखा भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, पटना।
5. भुगतान की जानेवाली राशि का विवरण :

क्र.स.	भुगतान का मद एवं शीर्ष	रकम
(क)	स्टाम्प शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण-उप-मुख्य शीर्ष 02-स्टाम्प गैर न्यायिक लघु शीर्ष-103-दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क लगाना-उप शीर्ष 0001 सकल प्राप्तियाँ प्राथमिक इकाई-75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड- R0030021030001	4,48,000 -
(ख)	निबंधन शुल्क-मुख्य शीर्ष-0030-स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क उप मुख्य शीर्ष-03 पंजीकरण शुल्क, लघु शीर्ष-104-दस्तावेजों का पंजीकरण शुल्क- उप शीर्ष-0001, प्राथमिक इकाई-75 49 सकल प्राप्तियाँ विपत्र कोड- R0030031040001	250 - 51 - 150 - 25 - 476 -
(ग)	भूस्वामी शुल्क-मुख्य शीर्ष-0029-भू राजस्व लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ-उपशीर्ष-0006-अन्य मदें- प्राथमिक इकाई-75 49 भूमि निबंधन शुल्क से आय विपत्र कोड-R00290080000006	-
	भुगतान का माध्यम : नगद/चेक*/ड्राफ्ट* कुल योग कुल राशि शब्दों में	4,48,476 -

स्थान Patna

तारीख 11/5/12

*चेक/ड्राफ्ट का विवरण पीठ पर अंकित कर दें।

*चेक/ड्राफ्ट की राशि अन्तरित होने के पश्चात् ही मान्य होगी

12. Kumar

जमाकर्ता का नाम

एवं हस्ताक्षर

FOR USE OF THE BANK

स्कॉल नं. ----- तारीख ----- उपर्युक्त कालम संख्या- 05 में दिये गए विवरण के अनुसार
रु0 ----- / शब्दों में ----- रुपये प्राप्त किया।

448476

प्राधिकृत पदाधिकारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर